'पेटेंट थिकेट्स' से लेन-देन की लागत बढ़ सकती है और नए उत्पादों के विकास पर प्रभाव पड़ सकता है।

स्रोत:
https://www.thehindubusinessline.com/opinion/patent-pooling-a-covid-success-story/article31891866.ece

Q.79) Ans: C

Exp:

- **कथन 1 सही है:** डब्ल्यूआईपीओ द्वारा अपनाई गई पेटेंट कानून संधि (पीएलटी)। पीएलटी वैश्विक पेटेंट प्रणालियों के सामंजस्य पर कई वर्षों की बहुपक्षीय वार्ता का उत्पाद है। औपचारिकताओं को कम करने या समाप्त करने और अधिकारों के नुकसान की संभावना के लिए पीएलटी कुछ पेटेंट आवेदन प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है। पेटेंट कानून संधि वास्तविक पेटेंट कानून, यानी प्रत्येक देश के कानूनों के अनुरूप नहीं है, जो उस देश में एक आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त करने के लिए शर्तों को पूरा करने के लिए निर्धारित करता है।
- **कथन 2 सही है: पेटेंट कानून संधि:**
  - फाइलिंग की तारीख प्राप्त करने के लिए पेटेंट आवेदन आवश्यकताओं को सरल और कम करता है;
  - औपचारिक आवश्यकताओं पर एक सीमा लगाता है जो संविदाकारी पक्ष लागू कर सकते हैं;
  - औपचारिक मामलों के लिए प्रतिनिधित्व आवश्यकताओं को आसान बनाता है;
  - आवेदनों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए एक आधार प्रदान करता है;
  - ओ समय सीमा के संबंध में राहत प्रदान करता है जो एक अनुबंध पार्टी के कार्यालय द्वारा लगाया जा सकता है और अधिकारों की बहाली जहां एक आवेदक या मालिक एक समय सीमा का पालन करने में विफल रहा है और उस विफलता के अधिकारों के नुकसान का प्रत्यक्ष परिणाम है; तथा
  - प्राथमिकता के दावों में सुधार या जोड़ और प्राथमिकता के अधिकारों की बहाली का प्रावधान करता है।
  - मई 2021 तक, पीएलटी में 43 अनुबंधित राज्य थे, जबकि 59 राज्यों और यूरोपीय पेटेंट संगठन ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत संधियों का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

Source : https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/patent-law-treaty

Q.80) Ans: D

Exp:
IPrism

- ASSOCHAM और ERICSSON इंडिया के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट (सीआईपीएएम) के सेल ने 'आईप्रिज्म' का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है।ASSOCHAM और ERICSSON इंडिया के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट (सीआईपीएएम) के सेल ने 'आईप्रिज्म' का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है।
- यह स्कूलों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एक बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रतियोगिता है। युवा पीढ़ी में नवाचार और रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्रतियोगिता युवा रचनाकारों को उनकी रचनाओं को राष्ट्रीय मंच पर मान्यता प्राप्त देखने का अवसर प्रदान करेगी। यह प्रतियोगिता केवल भारत के निवासियों के लिए है।

सीआईपीएएम के बारे में

- इसे राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तत्वावधान में बनाया गया है।
- यह आईपीआर जागरूकता, व्यावसायीकरण और प्रवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने के अलावा, आईपी प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है।

source:
https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1566240

Q.81) Ans: D

Exp:

- 1883 में अपनाया गया पेरिस कन्वेंशन व्यापक अर्थों में औद्योगिक संपत्ति पर लागू होता है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, उपयोगिता मॉडल, सेवा चिह्न, व्यापार नाम, भौगोलिक संकेत और अनुचित प्रतिस्पर्धा का दमन शामिल है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता रचनाकारों को यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए उठाया गया पहला बड़ा कदम था कि उनके बौद्धिक कार्यों को अन्य देशों में संरक्षित किया गया था।

Source: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/

Q.82) Ans: C

Exp:
National IPR Policy, 2016

- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति 2016 देश में आईपीआर के भविष्य के विकास का मार्गदर्शन